www.abcaus.in

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 282] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 2, 2019/ श्रावण 11, 1941
No. 282] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 2, 2019/SHRAVANA 11, 1941

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान

(संसद् के अधिनियम द्वारा स्थापित)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 02 अगस्त, 2019

सं. 1-**सीए(**7)/192/2019.—संस्थान की परिषद् ने, अप्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा मिथ्या प्रमाणन/अधिप्रमाणन के कदाचार को रोकने और झूठे प्रमाणपत्रों के व्यवहार को समाप्त करने और विभिन्न विनियामकों, बैंकों, पणधारियों आदि को गुमराह होने से बचाने के लिए यह विनिश्चय किया था कि सभी प्रकार के प्रमाणपत्रों/जीएसटी और कर संपरीक्षा रिपोर्टों और अन्य अधिप्रमाणन संबंधी कृत्यों के लिए एक समयबद्ध रीति में अनिवार्य रूप से अद्वितीय दस्तावेज पहचान संख्यांक (यूडीआईएन) के सृजन की एक नवीन अवधारणा को कार्यान्वित किया जाए, जिसके लिए सुसंगत समयों पर आईसीएआई की वेबसाइट www.icai.org पर प्रकाशित विभिन्न उद्घोषणाओं के माध्यम से आईसीएआई के सदस्यों को अधिसूचित किया गया था।

अत:, अब, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान की परिषद्, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की दूसरी अनुसूची के भाग 2 की मद सं. (1) के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनसाधारण की जानकारी के लिए और संस्थान के सदस्यों द्वारा आवश्यक अनुपालन के लिए निम्नलिखित दिशा-निर्देश जारी करती है,--

(i) संस्थान का व्यवसायरत कोई सदस्य, उसके द्वारा किए गए/हस्ताक्षरित सभी प्रकार के प्रमाणपत्रों/जीएसटी और कर संपरीक्षा रिपोर्टों और अन्य संपरीक्षा, आश्वासन और सत्यापन संबंधी कृत्यों के लिए अद्वितीय दस्तावेज पहचान संख्यांक (यूडीआईएन) का सृजन करेगा, जिसे सुसंगत समयों पर आईसीएआई की वेबसाइट www.icai.org पर प्रकाशित विभिन्न उद्घोषणाओं के माध्यम से निम्नलिखित तारीखों से आज्ञापक बनाया गया है :–

- सभी प्रकार के प्रमाणपत्रों के लिए 1 फरवरी, 2019 से।
- सभी प्रकार की जीएसटी और कर संपरीक्षा रिपोर्टों के लिए 1 अप्रैल, 2019 से।

www.abcaus.in

- अन्य सभी संपरीक्षा, आश्वासन और सत्यापन संबंधी कृत्यों के लिए 1 जुलाई, 2019 से।

(ii) उपरोक्त दिशा-निर्देश विभिन्न सेवाओं के लिए क्रमश: उपरोक्त तारीखों से प्रवृत्त होंगे।

राकेश सहगल, कार्यकारी सचिव

[विज्ञापन-III/4// असा./170/19]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

(set up by an Act of Parliament)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd August, 2019

No.1-CA(7)/192/2019.—Whereas, to curb the malpractice of false certification/attestation by the unauthorized persons & to eradicate the practice of bogus certificates and to save various regulators, banks, stakeholders etc. from being misled, the Council of the Institute decided to implement an innovative concept to generate Unique Document Identification Number (UDIN) mandatorily for all kinds of the certificates/GST and tax audit reports and other attest function in phased manner, for which members of the ICAI were notified through the various announcements published on the website of ICAI www.icai.org at the relevant times.

Now, in exercise of the powers conferred on it under Item No.(1) of Part- II of the Second Schedule to the Chartered Accountants Act, 1949, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India hereby issue the following guidelines for information of public and necessary compliance by members of the Institute -

(i) A member of the Institute in practice shall generate Unique Document Identification Number (UDIN) for all kinds of the certification, GST and Tax Audit Reports and other Audit, Assurance and Attestation functions undertaken/signed by him which made mandatory from the following dates through announcements published on the website of the ICAI www.icai.org at the relevant time: -

- For all Certificates w.e.f. 1st February, 2019.
- For all GST and Tax Audit Reports w.e.f. 1st April, 2019.
- For all other Audit, Assurance and Attestation functions w.e.f. 1st July, 2019.

(ii) The above Guidelines shall come into force from the above dates for the various services respectively.

RAKESH SEHGAL, Acting Secy.

[ADVT.III/4//Exty./170/19]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2019.08.03 14:52:20 +05'30'